12/12/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षगण उप० आये।
दौरान बहस हेतु वकील उभय पक्षगण की प्रार्थना पत्र के
बाबत बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौरान बहस कथन
प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत [illegible] अस्थायी
को मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी की अन्तरिम आदेश को
निरस्त किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार वकील
अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन
जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या
तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का विद्युत कनेक्शन को कटवाने के उद्देश्य से
प्रा० पत्र पेश किया जाना जबकि पक्षगण के मध्य बंटवारा के [illegible] वि०का०
होना तथा इन्हें प्रार्थना पत्र के [illegible] नहीं किया जाना कथन करते
हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय कास्ट खारिज किये जाने का
निवेदन किया।

वकील उभय पक्षगण की बहस के बाबत ध्यानपूर्वक
सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात
का ध्यान पूर्वक अवलोकन उपरान्त यह न्यायालय
प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आदेश अतः पूर्व में जारी अस्थाई आदेश को मूल दावा के निर्णय तक ताफैसला मुस्तकिल किये जाने के आदेश किये जाते हैं। पत्रावली किस्म मुताबिक हो। नत्थी कब्जे हो। पाडितवकील समक्ष मूल दावा में हैं। सुनाया गया। [signature] उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.02.28 16:58:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: